

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/4201

दिनांक : 9-11-11

-: कार्यालय आदेश :-

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपजिला/सैटेलाईट अस्पतालों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकारों एवं लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 18-11-2011 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त लेखाकर्मियों नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना अपने साथ लेकर आयेगें :-

1. सभी मदों के RE-2011-12 एवं BE-2012-13 के बजट प्रस्तावों एवं निर्धारित प्रपत्रों को ऑनलाईन किया जावे। निदेशालय को प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्ताव के अनुरूप ही सभी प्रपत्रों की सूचना ऑनलाईन कर समस्त प्रपत्र O.K. की सूचना मीटिंग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि मीटिंग दिनांक से पूर्व उनके अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सा संस्थानों के उक्त बजट प्रस्ताव एवं सूचनाएं ऑनलाईन कर दी गयी है।
3. बकाया दावों का निस्तारण :- बजट घोषणा के क्रम में वित्त विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बकाया दायित्वों को दिनांक 16.08.2011 से 15.11.2011 तक विशेष अभियान चलाया जाकर निपटाया जाना है। इस सम्बन्ध में निर्देशों के क्रम में तृतीय मासिक सूचना (16.08.2011 से 15.11.2011 तक की) निर्धारित प्रपत्र में बैठक में साथ लावे।
4. मासिक व्यय मानचित्र - सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों/चिकित्सा संस्थानों के माह अक्टूबर, 2011 तक के समस्त व्यय मदों (आयोजना भिन्न/आयोजना/सीएसएस) का मासिक व्यय विवरण आवश्यक रूप से साथ में लावे।
5. स्टोर्स में उपलब्ध अनुपयोगी निस्तारित योग्य सामग्री का विवरण एवं निस्तारण की प्रगति का विवरण।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कार्यालयों में कार्यरत लेखाकार/लेखा कर्मिक निम्नलिखित सूचनाओं के साथ बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे :-
  1. उक्त क्रम सं० 1 एवं 2 की सूचना।
  2. लम्बित बकाया दावों के निस्तारण की नवीनतम स्थिति (16.08.11 से 15.11.11 तक की)
  3. अनिस्तारित अनुपयोगी सामग्री/नकारा वाहनों की सूची मय समस्त विवरणों के
  4. लम्बित चोरी/गबन के प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र में केसवार नवीनतम सूचना।
  5. एजी/निरीक्षण विभाग/आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाएं।
7. जनलेखा समिति के निर्णय की क्रियान्विति बाबत निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति।


  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा/बैठक/2011/4201

दिनांक : 9-11-11

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय .....
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार कयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
9. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन.....
11. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, .....
12. समस्त लेखाकार, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय.....
13. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
14. प्रभारी सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेब-साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
15. केयर टेकर, कृपया दिनांक 18/11/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
16. रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर